



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1985]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 1985]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2532(अ).-** केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगी।

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई, किमी. में
(1)	(2)	(3)
"154ए"	चक्की-धर खंड (पंजाब राज्य में)	39.360 किमी"

[फा.सं. एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम (पार्टी)]

वी कृष्णास्वामी, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

**S.O. 2532 (E).** - In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Length in kilometers
(1)	(2)	(3)
"154A	Chakki-Dhar section (In the State of Punjab)	39.360 kms."

[F. No. NH-14013/18/2014-P&amp;M (Pt)]

V. KRISHNASWAMY, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

**का.आ. 2533(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यक्षीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ). दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

## तालिका

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [किमी. 212.000 से 387.100 तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) और किमी 407.100 से किमी. 491.300 (जालंधर-अमृतसर - वघा सीमा) तक छोड़कर], सं. 10, सं.15 [किमी. 6.082 से किमी 108.502( पठानकोट - अमृतसर खंड) तक छोड़कर], सं. 20, सं.21 [किमी. 0.000 से किमी 1.680 और किमी 6.800 से किमी. 73.200 (चड़ीगढ़/पंजाब सीमा - कुरली - किरातपुर) तक छोड़कर ], सं.22 [किमी 10.890 से किमी. 39.960 और किमी 39.860 से किमी 41.945 (जीराकपुर-पंजाब/हरियाणा सीमा) तक छोड़कर] सं.64, सं.70, सं.71, सं.95 [किमी 92.000 से किमी. 170.000( लुधियाना तालबंदी) तक छोड़कर], नई रारा सं. 3, नई रारा सं.148बी, नई रारा सं. 205ए, नई रारा सं. 254, नई रारा सं. 344बी, नई रारा सं. 503ए का विस्तार, नई रारा सं.703, नई रारा सं.703ए और नई रारा सं.754 के उतने ही भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं ।	पंजाब राज्य सरकार

[फा.सं.एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

वी कृष्णास्वामी, निदेशक

**टिप्पणी:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.1921 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

**S.O.2533(E).**-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No.1 [excluding from km. 212.000 to km. 387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from km.407.100 to km. 491.330 (Jalandhar – Amritsar - Wagah Border)], No.10, No.15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot – Amritsar section)], No.20, No.21 [excluding from km. 0.000 to km. 1.680 and from km.6.800 to km.73.200 (Chandigarh/Punjab border-Kurali-Kiratpur)], No.22 [excluding from km.10.890 to km. 39.960 and from km. 39.860 to km. 41.945(Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No.64, No.70, No.71, No.95 [excluding from km. 92.000 to km. 170.000 (Ludhiana-Talwandi)], new NH No. 3, new NH No. 148B, new NH No. 205A, New NH No. 254, New NH No. 344B, New NH No. 503A, New NH No. 503 Extn, New NH No. 703, New NH No. 703A and New NH No. 754 as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab

[F. No. NH-14013/18/2014-P&M (Pt)]

V. KRISHNASWAMY, Director

**Note:** - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1921 (E), dated the 15th July, 2015.